



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 2371/2026

जय प्रकाश सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अंशु चौधरी, श्याम सुंदर मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशु चौधरी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता ने इससे पहले रिट याचिका संख्या 17658/2025 (जय प्रकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) दायर की थी, जिसका निपटारा 24.11.2025 को हुआ था। उस याचिका का आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशु चौधरी और साथ ही विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1999 में मौसमी संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। एक संयुक्त वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 51 पर था। क्रमांक 45 तक के उम्मीदवारों को नियमित कर दिया गया था। चूंकि मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में याचिकाकर्ता के कार्य में बाधा आ रही थी, इसलिए उन्होंने रिट याचिका संख्या 20097/2022 दायर की, जिसमें 8.12.2022 को अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को 6.5.2025 को मौसमी संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया, हालांकि, अस्थायी वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता को क्रमांक 4 पर दिखाया गया और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उनकी पहली नियुक्ति 1999 के बजाय 1999 से 2003 के बीच दिखाई गई। इसलिए उन्होंने याचिका संख्या 4627/2025 (रतन सिंह तिवारी और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दायर की, जिसमें यह कहा गया कि वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपति का निपटारा किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह याचिका अभी लंबित है, हालांकि, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ होने के दावे के बावजूद, नवंबर 2025 में जय प्रकाश सिंह, रजनीश कुमार और राकेश कुमार चौबे को मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. इस याचिका में नियुक्ति प्रदान करने और अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी परिषद ने निवेदन किया है कि वरिष्ठता क्रम में सही नियुक्ति का प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार पहले से ही विचाराधीन है और अधिकारी अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करते समय इस संबंध में आदेश पारित करेंगे। हालांकि, याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में नियुक्त किए जाने की शिकायत के संबंध में, याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट, भदोही से संपर्क कर सकता है।

5. उपर्युक्त दलीलों पर विचार करते हुए, याचिका का खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन 12.12.2025 तक द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त अभ्यावेदन पर, द्वितीय प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा और दो माह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

3. हालांकि अब, उप-विभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के दावे को नकार दिया है, जिसका आदेश नीचे उद्धृत है:-

“याची जय प्रकाश सिंह पुत्र बलराज सिंह निवासी चकवा चन्देल, ज्ञानपुर जिला भदोही सामयिक संग्रह अनुसेवक तहसील औराई जिला भदोही द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित वाद संख्या 17658/2025 जय प्रकाश सिंह बनाम उ०प्र० सरकार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदि में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 को संलग्न कर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 01.12.2025 को यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि मैं सामयिक संग्रह सेवक के नियुक्ति हेतु पात्र व अर्ह व्यक्ति हूँ। जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विषयगत आदेश के अनुपालनार्थ प्रकरण पर सद्भावनापूर्वक विचार करते हुए याची की नियुक्ति सामयिक संग्रह सेवक के पद पर किया जाय। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 24.11. 2025 का अंश निम्नवत है।

".....उपलब्ध प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन 12.12.2025 तक द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त अभ्यावेदन पर, द्वितीय प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा और दो माह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।"

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 24.11. 2025 के अनुपालन में याची से उनके दावा सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त किये गये जो कार्यालय अभिलेख के अनुपालन में याची से उनके दावा सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त किये गये जो कार्यालय अभिलेख पत्रावली पर संलग्न होकर परीक्षण किया गया, तत्कम में याची द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के दृष्टिगत याची के द्वारा अपनी सेवा सम्बन्धी कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो तत्सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 29.08.2001 के अनुकूल हो, जिससे श्री जय प्रकाश सिंह को सामयिक संग्रह अनुसेवक के पद पर आगामी वसूली मांग के समय नियुक्त किया जा सके।

अतः याची श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 01.12.2025 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।"

4. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि चुनौती दी गई याचिका को वैध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह तर्कहीन और बिना किसी कारण के निष्कर्ष पर पहुंची है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चुनौती दी गई याचिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को रद्द कर दिया जाए और मामले को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा जाए ताकि नया आदेश पारित किया जा सके।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए आदेश पारित किया गया है, लेकिन उसका शब्द-विन्यास उचित नहीं है। याचिकाकर्ता के दावे के लिए विवादित आदेश को रद्द किया जाए और मामले को पुनः प्रस्तुत किया जाए ताकि नया आदेश पारित किया जा सके।

7. न्यायालय की राय में, न्यायालय द्वारा दिए गए सभी तर्कों को सुनने के बाद, यह पाया गया है कि चुनौती दिया गया आदेश तर्कहीन और अनुचित है तथा निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई कारण नहीं बताता है। इसलिए, चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं रखा जा सकता।

8. परिणामस्वरूप, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:-

(क) उप मंडल मजिस्ट्रेट, औराई, जिला भदोही, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को संबंधित प्राधिकारी को दो महीने की अवधि के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया जाता है।

9. रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

फरवरी 17, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”